

झारखण्ड सरकार खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

हिमानी पाण्डे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

/राँची, दिनांक - 17/01/23

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102-सिविल पूर्ति योजना/789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना- 74 - सुपात्र लाभुक डाकिया योजना - 06 - अनुदान-52 -सब्सिडी (18S345600-796/102/789-74010652) के अंतर्गत राशि रुपये 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1072, दिनांक 12.04.2022 एवं ऑनलाईन स्वीकृतिदेश संख्या-95।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में PVTG डाकिया योजनान्तर्गत राज्य के आदिम जनजाति परिवारों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करने हेतु प्रसंगाधीन स्वीकृतिदेश के माध्यम से राशि रुपये 7,00,00,000.00 (रुपये सात करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका ऑनलाईन स्वीकृतिदेश संख्या 95 है।

2. उक्त स्वीकृत राशि से PVTG डाकिया योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न के पैकेजिंग कार्य हेतु JSLPS को अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय स्तर पर राशि का आवंटन प्रक्षेत्रवार निम्नवत् किया जाता है (ऑनलाईन आवंटन प्रति संलग्न) -

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	निदेशालय को आवंटित राशि
1	जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना (TSP)	28,64,000
2	सिविल पूर्ति योजना (OSP)	11,86,000
3	अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना (SCSP)	9,50,000
कुल आवंटन		50,00,000

(रुपये पचास लाख मात्र)

3. उक्त योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत उठाव कर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चिन्हित गोदाम तक लाए गये खाद्यान्न को 35 किलोग्राम के निर्धारित मानक वाले पैकेट में पैकेजिंग करते हुए सीधे उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित आदिम जनजाति के निवास स्थान तक पहुँचाया जायेगा।

4. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम में खाद्यान्न का पैकेजिंग झारखण्ड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS) द्वारा किया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत खाद्यान्न के पैकेजिंग करने हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची होंगे, जो राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, राँची से कर झारखण्ड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS) को पी०एल० खाता (PRJSES111) के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

6. यह सुनिश्चित की जाय कि संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों को निर्धारित मात्रा में बंद पैकेट में उनके निवास स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय। इस हेतु JSLPS द्वारा किये जा रहे पैकेजिंग कार्य का व्यापक अनुश्रवण किया जाय।

7. आवंटित राशि की निकासी उपरोक्त बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सुपात्र लाभुक डाकिया योजना के लिए उपबंधित राशि से की जायेगी एवं योजना का कार्यान्वयन विभागीय अधिसूचना संख्या 1469, दिनांक 02.04.2017 के प्रावधानों के अधधीन होगा।

8. आवंटित राशि निर्धारित योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध के अंतर्गत है।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची होंगे।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.1998 एवं पत्रांक 1800, दिनांक 15.7.2003 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी की जायेगी।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन सख्ती से किया जाय। ध्यान रहे कि एक बार में उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की खर्च किया जा सके। साथ ही जो राशि 31 मार्च 2023 तक व्यय नहीं हो, उसे प्रत्यार्पित कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक में नहीं रखा जाय। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि का दूसरे वित्तीय वर्ष में व्यय करना घोर वित्तीय अनियमितता है।

12. राशि की निकासी एवं व्ययन के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन तथा व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से कराकर उसकी सूचना विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाय। साथ ही, आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हिमानी पाण्डे),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - खा०प्र०-1/PVTG डा०यो०(भुगतान)-7-10/2017 - 17/1, /राँची, दिनांक - 17/01/23
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाईटी (JSLPS)-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धूर्वा, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-3/प्रभारी कम्प्यूटर ऑपरेटर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 10/17-PVTG3/171

दिनांक - 17-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 18 34560010274010652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 102 - सिविल पूर्ति योजना 74 - सुपात्र लाभुक डाकिया योजना 01-सुपात्र लाभुक डाकिया योजना 06 - अनुदान State Scheme	74196	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 52 - सबसिडी	1,186,000.00 रुपये ग्यारह लाख छियासी हजार
	State Scheme : DAKIYA SCHEME FOR ELIGIBLE BENEFICIARIES(1839) Central Scheme : NA			
2	S 18 34560078974010652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 74 - सुपात्र लाभुक डाकिया योजना 01-सुपात्र लाभुक डाकिया योजना 06 - अनुदान State Scheme	74197	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 52 - सबसिडी	950,000.00 रुपये नौ लाख पचास हजार
	State Scheme : DAKIYA SCHEME FOR ELIGIBLE BENEFICIARIES(1839) Central Scheme : NA			
3	S 18 34560079674010652 3456 - सिविल पूर्ति 00 - सिविल पूर्ति 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 74 - सुपात्र लाभुक डाकिया योजना 01-सुपात्र लाभुक डाकिया योजना 06 - अनुदान State Scheme	74195	PRJCSP002 MITHILESH KUMAR SECTION OFFICER 52 - सबसिडी	2,864,000.00 रुपये अठाइस लाख चौसठ हजार
	State Scheme : DAKIYA SCHEME FOR ELIGIBLE BENEFICIARIES(1839) Central Scheme : NA			

योग: रुपये पचास लाख
क्रमिक योग:

5,000,000.00

(HIMANI PANDY)
PRINCIPAL SECRETARY